

दालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा


क्रमांक ११०११ बनाम राजू राउत
मुकदमा नं० ०६ सन् २०१८

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
३०७ १९	<p>घत्रावली खेड़ा हुई। अखिषता वादी एवं परोक्ष सरकार उपरान्त संशेष में विवरण प्रकार इस प्रकार है कि वादी ने अखिषता द्वारा ४४२११ एवं धारा १३६ (२) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नली परिवार हल्का वहेलिया तहसील रावतभाटा की आ. नं. २९४ रकबा १.०४ हे. वादी के स्वामित्व में है, जिसमें वादी के पिता का नाम हीरा गुजर अंकित है, जबकि अन्य दस्तावेज में वादी के पिता का नाम हजारी गुजर अंकित है, जिसके उक्त आशय पर बैंक प्रशासन में परिशानियों का अखिषता सामना करना पड़ रहा है। अतः ग्राम नली परिवार क्षेत्र वहेलिया की आशय रकबा २९४ रकबा १.०४ हे. में वादी का नाम करणा पिता हजारी गुजर उर्फ हीरा गुजर किए जाने की घोषणा एवं उसके अनुषंग रिकार्ड की पुस्तकी की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त जवाब दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से उनके जवाब का अखिषता बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। हमने घत्रावली का गहनता से अवलोकन/अखिषता कर वहेल अखिषता वादी पर गम्भीरता से मजबूत किया। सरपंच ग्राम पंचायत मण्डसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक ०६/०१/२०१८ अनुसार करणा के पिता को हजारी गुजर तथा हीरा गुजर दोनों ही नाम से पुकारते थे। करणा पिता हजारी गुजर उर्फ हीरा गुजर ग्राम नलीखेड़ा का (बाबी निवासी) है। रजिस्ट्रार एवं भूतपता पट्टाचण पत्र में भी वादी करणा के पिता का नाम हजारी अंकित है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र अखिषता खेप पाया जाने से अखिषता किया जाकर ग्राम नली परिवार क्षेत्र वहेलिया की आशय रकबा २९४-७३ के स्वामित्व में आ. नं. २९४ रकबा १.०४ हे. में स्वामित्व करणा के पिता का नाम हजारी गुजर उर्फ हीरा गुजर अंकित किए जाने के</p>	

अध्यक्ष कर्मचारी (उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (मिर्ताइगढ़)

५

ओरवा रिह जाते हैं। डिस्की पची जारी हो।
प्राप्तनी के जल शुभार होकर नाकर
से कम हो।


सहायक कलेक्टर
रावलभाट (विजोड़ा)

